कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग, दुर्ग (छ.ग.)

जिला पंचायत के सामने, जी.ई.रोड, दुर्ग, छ.ग.
Phone No: 0788-2962296 E-mail: jddurg18@gmail.com

//आदेश//

कमांक/सतर्कता/389/य.सि.रा./2024–25/283 दुर्ग, दिनांक 09.01.2025

श्री यशपाल सिंह राजपूत, शिक्षक एल.बी., शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बेरला, विकास खंड बेरला, जिला बेमेतरा के विरूद्ध संस्था में कार्यरत सुश्री अमिता चन्द्रवंशी, शिक्षक द्वारा बहुत समय से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने तथा स्कूल में अकेले में परेशान करने, सबके बीच में गलत बातें करने, घर में रहने पर बार–बार कॉल एवं मैसेज में परेशान करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के समक्ष शिकायत की गई थी।

2/ जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा द्वारा उक्त शिकायत की जांच तीन सदस्यी जांच दल द्वारा कराई गई है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं गवाहो के बयानों के आधार पर श्री यशपाल सिंह राजपूत, शिक्षक एल.बी.के द्वारा सुश्री अमिता चन्द्रवंशी, शिक्षक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने की पुष्टि होती है।

3/ श्री यशपाल सिंह राजपूत, शिक्षक एल.बी. का उक्त कृत्य छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1)(2)(3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

4/ अतएव जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा की अनुशंसा के आधार पर एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम – 09(1)(क) के तहत् श्री यशपाल सिंह राजपूत,शिक्षक एल.बी. शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बेरला, विकास खंड बेरला, जिला बेमेतरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5/ निलंबन अवधि में श्री यशपाल सिंह राजपूत, शिक्षक एल.बी. का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, छुईखदान, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उक्त लोक सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(आर.एल.ठाकुर)
संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग, दुर्ग, (छ.ग.)

पृ. कमांक/सतर्कता/389/य.सि.रा./2024–25/284 दुर्ग, दिनांक 09.01.2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग (छ.ग.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला– बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ। आरोप पत्रादि तैयार कर एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।